

बहुदा पूछे जाने वाले प्रश्न :

प्रश्न- आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर- आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आवेदन कर्ता को पोर्टल के पंजीकरण लिंक में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा तदुपरान्त आवेदनकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त होगा। तदुपरान्त प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से आवेदनकर्ता सवहपद सपदा के माध्यम से आवेदन फार्म भर सकता है।

प्रश्न - पंजीयन कहाँ-कहाँ से कराया जा सकता है?

उत्तर- पंजीयन जन सुविधा केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र अथवा अपने कम्प्यूटर द्वारा आनलाइन किया जा सकता है।

प्रश्न - क्या अभिलेखों की छायाप्रति को स्कैन कर अपलोड किया जा सकता है?

उत्तर- अभिलेखों की मूल प्रति को ही स्कैन कर अभिलेख अपलोड किये जा सकते हैं।

प्रश्न - पंजीयन हेतु वांछित अभिलेख कितने साइज तक अपलोड किये जा सकते हैं?

उत्तर- प्रत्येक अपलोड किये जाने वाले अभिलेख के सम्मुख फाईल साइज निर्धारित है।

प्रश्न - क्या गोशाला पंजीकरण हेतु आवेदन ऑफ लाईन एवं सीधे भी किया जा सकता है?

उत्तर- नहीं। गोशाला पंजीकरण हेतु आवेदन केवल आनलाइन ही किया जा सकता है।

प्रश्न -पंजीयन हेतु वांछित अभिलेखों की फाईल किस फॉरमेट में अपलोड की जा सकती है?

उत्तर- पंजीयन हेतु वांछित अभिलेखों की फाईल केवल पी0डी0एफ0 फॉरमेट में अपलोड की जायेगी।

प्रश्न-क्या ऑनलाइन गोशाला पंजीकरण आवेदन के पूर्व आवेदनकर्ता का पंजीयन आवश्यक है?

उत्तर- ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पूर्व आवेदनकर्ता द्वारा लॉग इन करने हेतु पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने के उपरान्त लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड आवेदनकर्ता को ैडै से प्राप्त होगा।

प्रश्न - क्या आवेदन करने के उपरान्त आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकता है?

उत्तर- हाँ। आवेदन के उपरान्त अपने आवेदन की स्थिति पोअर्ल के माध्यम से ज्ञात कर सकता है।

प्रश्न - क्या आवेदन करने हेतु कोई शुल्क भी निर्धारित है।

उत्तर - नहीं। आवेदन करने हेतु कोई शुल्क नहीं है।

प्रश्न - आवेदक अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

उत्तर- आवेदक अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र जन सुविधा केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र अथवा अपने कम्प्यूटर के माध्यम से लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगइन कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न - आवेदक द्वारा क्या-क्या अभिलेख अपलोड किया जाना है?

उत्तर- पोर्टल पर उपलब्ध संलग्नक लिंक के अनुसार।

प्रश्न - आवेदन फार्म भरने हेतु हिन्दी भाषा के अलावा क्या कोई अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर- नहीं। आवेदन फार्म को केवल हिन्दी भाषा में ही भरना है।